न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 78/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/127

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1.उदाराम पुत्र प्रभुराम 2.छोगाराम पुत्र प्रभुराम 3.जोगाराम पुत्र प्रभुराम 4.तेजाराम पुत्र प्रभुराम 5.हरूराम पुत्र प्रभुराम जाति प्रजापत निवासी नया दुदवा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1. अचलाराम पुत्र पताराम जाति जाट 2.इमियादेवी पत्नि हिराराम जाति प्रजापत निवासी दुदवा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.कबुदेवी पत्नी सागरराम जाति ढाडी निवासी खट्टू तहसील पचपदरा 4.जमनादेवी पत्नी हरीश जाति ढाढी निवासी पचपदरा व तहसील पचपदरा 5.धापुदेवी पत्नी देदाराम 6.देवाराम पुत्र देदाराम नाबालिग जरीए कुदरती वली माता,धापुदेवी पत्नि देदाराम निवासी चौकड़ीयों की ढाणी,गोल 7.मोटाराम पुत्र पताराम 8.रामाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी चौकड़ियों की ढाणी,गोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 9.सुआदेवी पत्नि मोहनलाल जाति ढाड़ी निवासी पचपदरा 10.सुआदेवी पत्नी लाखाराम जाति ढाडी निवासी खट्टू तहसील पचपदरा 11.शाखा प्रंबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा पचपदरा 12.शाखा प्रंबन्धक पंजाब नेशनल बैंक बालोतरा 13.[illegible] क सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया [illegible] बालोतरा 14.[illegible] पुत्र ईशराराम जाति जाट 15.प्रभु [illegible] लुम्बाराम जाति जाट 16.भोमाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:10 IST
Reason: SelfAttested

17.गालुदेवी पत्नि ईशराराम जाति जाट

18.रामाराम पुत्र मगाराम जाति जाट

19.हुकमाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट

निवासी खट्टू तहसील पचपदरा

20.सरपंच ग्राम पंचायत गोल स्टेशन

21.शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक पचपदरा।

22.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक बालोतरा

23.अणचीदेवी पत्नी घेवरराम

24.अश्वनीदेवी पुत्री घेवरराम

25.दलाराम पुत्र घेवरराम

26.भुराराम पुत्र घेवरराम

27.भैराराम पुत्र घेवरराम

28.रामलाल पुत्र घेवरराम

29.लाखाराम पुत्र घेवरराम

जाति बाहम्रण

निवासी–चौकडियों की ढाणी गोल, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

30.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री पुनमाराम चौधरी विप्रार्थी संख्या 14 व 15 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 01 से 13 व 16 से 30 एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:10 IST
Reason: Self Attested

आदेश

दिनांक 04.7.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 345/82 क्षेत्रफल 13.3384 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चौकड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 345/82 क्षेत्रफल 13.3384 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 12,14,15 व 22 की तरफ से वकालतनामा पेश किए गए। लेकिन पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 12 व 22 के अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 11 व 13 से 30 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 345/82 क्षेत्रफल 13.3384 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 345/82 क्षेत्रफल 13.3384 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 14 व 15 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी की ओर से सीमाओं को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया है। विप्रार्थी शान्ति स्वभाव के व्यक्ति है,प्रार्थीगण द्वारा ही सीमाओं को लेकर झगड़ा फसाद किया जाता है। प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का भलीभांतिपूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी, पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 345/82 क्षेत्रफल 13.3384 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत [illegible]9–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमवंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.01.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थी संख्या 14 व 15 अधिवक्ता की ओर से मौखिक तर्क दिए गए कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद नहीं है,जो कि मौका फर्द रिपोर्ट अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद विदयमान है। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम चौकड़ियों की ढाणी,पटवार हल्का गोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 345/82 क्षेत्रफल 13.3384 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में ज़रिए नोटिस/पत्र के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:32:10 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04.7.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा